यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री निखिल गोस्वामी एवं श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.03.2019 से 16.03.2019 तक श्री के.एल.भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि भूषण, व.ले.प. एवं श्री रमेश कुमार केशरी,एवं श्री अजय मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.10.2017 से 02.11.2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 03/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 03/2016 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वन उपज एवं सम्पदा के सुरक्षा का कार्य पाँचों राजियो के अन्तर्गत किया जाता है।

3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	307.76
2016-17	297.61
2017-18	350.41

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**आवंटन**		**व्यय**		**बचत (-)**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	-	-	628.65	249.35	625.69	249.24	2.96	0.11
2016-17	-	-	582.58	282.61	581.63	281.07	0.95	1.54
2017-18	-	-	668.59	257.61	665.97	256.69	0.62	0.92

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
		-			-

इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: -

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(राजस्व)

भाग-2(ब)

प्रस्तर-01 वन निगम द्वारा लंबित बकाया जमा न जमा किया जाना ₹ 10.33 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के बकाया से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि ₹ 10,33,741/- का बकाया वन निगम से वसूल किया जाना चाहिए था जो कि लेखापरीक्षा तिथि तक वसूल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वन निगम की ओर जो बकाया धनराशि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से लंबित है। उत्तराखंड राज्य बन जाने से इस प्रकरण पर निर्णय शासन स्तर से निर्गत होने पर तदनुसार कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(राजस्व)

भाग-2 ब

प्रस्तर-02 लीसा के कम प्राप्ति से ₹ 1.75 लाख की राजस्व क्षति।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के लीसा से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि फसल वर्ष 2017 में सेटिंग के अन्तर्गत घावों की संख्या 87567 तथा टिपान के अन्तर्गत घावों की संख्या 87567 निर्धारित थी। इन घावों पर उत्पादन लक्ष्य 3502.68 कुंटल लीसा निर्धारित किया गया था जिस के सापेक्ष 3412.74 कुंटल लीसा का उत्पादन हुआ। इस प्रकार 89.94 कुंटल लीसा कम उत्पादन हुआ। वर्ष 2017 के दौरान लीसा के उत्पादन पर (Allincost)₹3519 था तथा लीसा की औसत बिक्री मूल्य ₹5465.68 प्रति कुंटल थी। इस प्रकार 89.94 कम लीसा की प्राप्ति से ₹175084{89.94X1946.68(5465.89-3519) की राजस्व हानी हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि कम गर्मी एवं बारिश के कारण लीसा का उत्पादन कम हो जाता है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि विभाग द्वारा उपरोक्त सभी बिन्दु को ध्यान में रखते हुए लीसा का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकरियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित
भाग 2(ब)

प्रस्तर03-अनियमित व्यय ₹ 15 लाख

उत्तराखंड शासन, वित्त विभाग सं०- 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01.05.2008 के नियम 30(3) एवं 30(4) के प्रावधानों के अनुसार ₹ 10 लाख तक के समस्त मूल निर्माण तथा मरम्मत कार्य विभागाध्यक्ष के माध्यम से तथा ₹ 10 लाख से अधिक समस्त कार्य तथा मरम्मत कार्य लोक निर्माण संगठन द्वारा ही क्रियान्वित किए जाएगे।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभगा, अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि चायखान वन विश्राम भवन,जोणिद्वार एवं आउट हाउस के निर्माण पर ₹ 15 लाख का व्यय कार्यालय स्तर से किया गया तथा उपरोक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति, वितीय स्वीकृति तथा प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं लिया गया था। इस प्रकार कार्यालय द्वारा वन विश्राम भवन के निर्माण कार्य पर ₹ 15 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वास्तयविक निर्माण कार्य 10 लाख (9.88 लाख) से कम होने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित नहीं कराये गए।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उपरोक्त कार्य पर कुल 15 लाख का व्यय किया गया है साथ ही यह भी अवगत कराना है कि ₹ 10 लाख तक निर्माण कार्य का व्यय विभागाध्यक्ष द्वारा ही किया जा सकता है न की कार्यालयाध्यक्ष द्वारा।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित
भाग 2(ब)

प्रस्तर-04 मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि में नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण लम्बित भुगतान ₹107.50 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2012 वन्य जीवों द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी। नियमावली की मूल भावना यह थी कि वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली जान माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मनुष्य का वन विभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच मेंपाया गया कि माह मार्च 2018 तक प्रभाग मेंपशु क्षति के 834 प्रकरण लम्बित थे एवंफसल क्षति के 2.35(है० में) प्रकरण लम्बित थे जिनके सापेक्ष क्रमश: ₹106.62 लाखएवं ₹ 0.88 लाखका भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (03/2019) तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया की बजट प्राप्त न होने के कारण भुगतान नही किया गया है एवं प्राप्त बजट के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्राप्त बजट के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही से संबन्धित कोई भी साक्ष्य लेखापरोक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण₹107.50 लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(राजस्व)

STAN

प्रस्तर-1 जमानत जमा न जमा कराया जाना ₹ 0.21 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारितधनराशि	जमाधनराशि	अवशेषधनराशि
1.	श्री प्रताप गिरी गोस्वामी	वन दरोगा	10000	5000	5000
2.	श्रीमति हेमलता पाठक	वन दरोगा	10000	5000	5000
3.	श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डे	वन दरोगा	10000	5000	5000
4.	श्री मोहन चन्द्र भट्ट	वन दरोगा	10000	4000	6000
				योग	**21,000/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जमानत शीघ्र जमा कर लेखापरीक्षा को सूचित किए जाने का आस्वासन दिया गया है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(राजस्व)

STAN

प्रस्तर-02 0.72784 हैकटर क्षेत्रफल को अतिक्रमित वन भूमि को कब्जा में न लिए जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के वन भूमि अतिक्रमण से संबन्धित पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि प्रभाग के वन भूमि में 11 मामलें वन अतिक्रमित कुल 0.72784 हैकटर को भूमि अतिक्रमण किया गया (सूची संलग्न)। सल्गन सूची के क्रम सं० 5,6,7,8,10 एवं 11 का मा० न्यायालय से निर्णय वन विभाग के पक्ष में दिया गया था। जिसको विभाग द्वारा उक्त भूमि को कब्जा कर लिया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: उक्त प्रकरण उच्चकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(राजस्व)

STAN

प्रस्तर03- धनराशि ₹144.58 लाख के चालानों का सत्यापन न होना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा के राजस्व संग्रह से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चयनित माह (मार्च, 2018) का CTR उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण निम्नलिखित चालानों का CTR द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका।

क्रम सं.	दिनांक	चालान सं.	धनराशि
1.	31.03.2018	37	3,000
2.	26.03.2018	09	30
3.	26.03.2018	24	2,175
4.	20.03.2018	5	800
5.	26.03.2018	25	1,340
6.	31.03.2018	226	53,85,043
7.	31.03.2018	227	75,00,000
8.	07.03.2018	47	2,300
9.	07.03.2018	18	99,625
10.	26.03.2018	52	1,975
11.	26.03.2018	55	240,000
12.	28.03.2018	90	7,285
13.	03.02.2018	10	67,440
14.	27.02.2018	55	10
15.	07.03.2018	68	37,290
16.	06.03.2018	7	150
17.	23.02.2018	00028	17,302
18.	06.03.2018	85/2930	68,226
19.	17.03.2018	71/1163	9,52,000
20.	14.03.2018	53/4915	72,583
21.	28.03.2018	103/1514	300
		कुल	1,44,58,874

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया गया कि CTR प्राप्त कर संप्रेक्षा को प्रेषित किया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
17/2006-07	01	-	
85/2012-13	-	01,02	
38/2014-15	-	02	
222/2015-16	-	01,02	
97/2017-18	-	01,02	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
17/2006-07	01	01	
38/2014-15	01	01	
222/2015-16	-	01	
97/2017-18	-	03	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री खुशाल सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र